

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम जायल (नागौर)


टीकूराम

बनाम

चन्द्राराम

सम प्रकरण राजस्व प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 50/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
26.06.13	<p>यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने अधीन धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश किया।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.06.2013 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">               (एस.डी.ओ.) जायल           </p>	
26/6/13	<p>राजकार/प्रभुकारान के अधिवक्ता</p> <p>कार सिडिपान के तहत प्रार्थी को नोटिस में/अन्यथा प्रकरण पत्र के तहत, इसदिने प्रकरण उनके समय प्रार्थना 15/7/13 को प्रस्तुत करें।</p>	
15/7/13	<p>मंत्रालयिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश होने से पत्रावली दिनांक 30/7/13 को पेश हो।</p> <p>राजकार/प्रभुकारान के अधिवक्ता</p>	
30/7/13	<p>कार सिडिपान के तहत प्रार्थी को नोटिस में/अन्यथा प्रकरण पत्र के तहत, इसदिने प्रकरण उनके समय प्रार्थना 1.8.13 को प्रस्तुत करें।</p>	
8/8/13	<p>पत्रावली पेज डई/वकील प्रार्थी उपर अप्रार्थी सं. 1 से 3 के नोटिस तामिल कर्मियों की नोटिस लेने की इनकाट की रिपोर्ट के साथ जप्त डई। अप्रार्थी सं. 4 का समस्त बाद तामिल जप्त डई। अप्रार्थी सं. 1 से 4 के लिए आवाने लगाई गई पत्र न तो हवय उपलब्ध है, न ही इनकी तरफ से कोई क्लैट आया। उप. डई। अंतः अप्रार्थी सं. 1 से 4 के विरुद्ध बावजूद</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: right;">P-7.0</p>	

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
	<p>पंथकार/पंथकारान के अधिवक्ता</p> <p>20.12.17</p> <p>पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक. 15.1.18...को प्रस्तुत करें।</p>
18.1.18	<p>पंथकार/पंथकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक. 15.2.18...को प्रस्तुत करें।</p>
5/2/18	<p>पंथकार/पंथकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक. 5/3/18...को प्रस्तुत करें।</p>
5-3-18	<p>पंथकार/पंथकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक. 28.3.18...को प्रस्तुत करें।</p>
22.3.18	<p>पंथकार/पंथकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट में/प्रमाण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समस्त दिनांक. 16.4.18...को प्रस्तुत करें।</p>
05.6.18 Note press & mark 5-6-18	<p>पत्रावली न्याय आप के डारशिफिट में अल सेवा के नु आवेदा में पेशुर्दी वकील डाकी ने नोट प्रेस कर रिक्वेस्ट किया है डाकी डाकी पर को चलाना नहीं चाहे है इल्लिज जदि कि प्रोस स्वादीज किमा आवा वकील वादी के निवडन पर डाकी को डाकी पर रिक्वेस्ट स्वादीज किमा आवा पत्रावली को नु डाकी खान उकार दाखिल हो</p>

पत्रावली दिनांक 19/3/18 को वैश  
है